न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. मंजू,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 003/2017 (अपील रसद)
पंजीयन दिनांक 20.01.2017
G.C.M.S. NO. :- 2017/00001

राज्य सरकार जरिये हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–राजेश कुमार बीर, मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक, कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा
2–क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत गैस, कार्यालय उदयपुर

–विपक्षीगण

कार्यवाहीः–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित एल.पी.जी. (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन) आदेश, 2000 में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत।

उपस्थिति : 1–प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 12.05.2026

प्रस्तुत प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने आवेदन इस आशय का पेश किया कि दिनांक 04.01.2017 को जिला रसद अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्देशानुसार मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक, कनेरा का गठित जांच दल द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 003/2017 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री राजेश कुमार बीर, मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा वगैरा

पर गैस एजेन्सी के मालिक श्री राजेश कुमार बीर उपस्थित पाये गये। वक्त निरीक्षण गैस एजेन्सी पर विस्फोटक अनुज्ञप्ति संख्या G/NC/RJ/06/1447 (G36677) जो दिनांक 30.09.2023 तक वैध है के अनुसार कुल 5000 कि.ग्रा. गैस तक भण्डारण की स्वीकृति प्रदान की गई है परन्तु वक्त निरीक्षण गैस गोदाम में कुल 11348.4 कि. ग्रा. गैस का भण्डारण होना पाया गया। इस प्रकार गैस एजेन्सी द्वारा 6348.4 कि. ग्रा. गैस का भण्डारण अवैध रूप से गोदाम में होना पाया गया। साथ ही गैस एजेन्सी पर डी. एस. ओ. अनुज्ञप्ति संख्या 280/2014 का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2014 के बाद नहीं किया हुआ पाया गया। गैस एजेन्सी द्वारा गोदाम पर स्टॉक सूचना, बैकलॉग सूचना, मूल्य आदि का प्रदर्शन किया हुआ था परन्तु इसका संधारण नहीं किया हुआ पाया गया। गैस एजेन्सी द्वारा विस्फोटक अनुज्ञप्ति से अधिक भण्डारण एवं बिना डी. एस. ओ. अनुज्ञप्ति के व्यापार किये जाने के कारण गैस गोदाम में रखे गये सिलेण्डरों को जरिये फर्द अभिग्रहण कब्जे में लिया जिनका विवरण निम्नानुसार हैः-

1. 14.2 कि.ग्रा. के गैस सिलेण्डर (भरे हुए) :-777
2. 14.2 कि.ग्रा. के गैस सिलेण्डर (खाली) :-85
3. 19 कि.ग्रा. के गैस सिलेण्डर (भरे हुए) :-03
4. 19 कि.ग्रा. के गैस सिलेण्डर (खाली) :-09
5. 5 कि.ग्रा. के गैस सिलेण्डर (भरे हुए) :-20

उक्त भरे हुए सिलेण्डरों की फर्द तौल पट्टी तैयार की गई, जिसके अनुसार भरे हुए गैस सिलेण्डरों में गैस का वजन 11348.4 कि.ग्रा. होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षीगण श्री राजेश कुमार बीर, मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक, कनेरा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, भारत गैस उदयपुर का यह कृत्य द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के खण्ड 8 एवं राजस्थान पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 003/2017 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री राजेश कुमार बीर, मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा वगैरा

आदेश 1990 के खण्ड 3, 5 व 19 तथा उक्त आदेश के तहत जारी अनुज्ञप्ति की शर्त संख्या 5 एवं 11 का स्पष्ट उल्लघंन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है अतः जब्तशुदा कुल 14.2 कि.ग्रा. के 777 भरे हुए, 85 खाली, 19 कि.ग्रा. के 03 भरे हुए, 09 खाली एवं 5 कि.ग्रा. के 20 भरे हुए गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना-पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीलाल पोखरना ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। दौराने बहस विपक्षीगण के अधिवक्ता के बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए एवं बहस प्रकरण पैरोकार सरकार सुनी गई तथा प्रकरण गुणावगुण पर देखा।

पैरोकार सरकार का मुख्य कथन यह रहा कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग एवं अवैध भण्डारण नहीं किया जा सकता। दौराने निरीक्षण गैस एजेन्सी की अनुज्ञप्ति नवीनीकरण नहीं होकर दिनांक 31.12.2014 तक ही वैध थी फिर भी विपक्षी के द्वारा बिना अनुज्ञप्ति नवीनीकरण कराए अवैध व्यापार किया जा रहा था। तथा विस्फोटक अनुज्ञप्ति भी कुल 5000 कि.ग्रा. तक ही स्वीकृत थी किन्तु स्वीकृत क्षमता से अधिक दौराने निरीक्षण कुल 11348.4 कि. ग्रा. गैस का अवैध भण्डारण होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अनुज्ञप्ति समाप्त होने के बाद भी बिना नवीनीकरण कराये गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से व्यवसायिक/अन्य उपयोग करना पाया गया जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन होने से धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त शुदा गैस सिलेण्डर मय गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या 003/2017 (अपील रसद)
राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ बनाम श्री राजेश कुमार बीर, मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक कनेरा, तहसील निम्बाहेड़ा वगैरा

विपक्षी संख्या 1 ने जवाब पेश किया कि वक्त निरीक्षण गोदाम में कुल 11348.4 कि. ग्रा. गैस भण्डारण होने का गलत तथ्य अंकित किया है गैस गोदाम में वक्त निरीक्षण 14.2 कि. ग्रा. के 340 सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के 03 सिलेण्डर एवं 5 कि. ग्रा. के 20 सिलेण्डर ही थे शेष दर्शाये गये सिलेण्डरों में से 14.2 कि. ग्रा. के 131 सिलेण्डर दो वाहनों में भरे हुए थे, जो भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले को प्राथमिकता मिली होने से इस योजना के तहत एसईसीसी सूची 2011 में शामिल योग्य महिलाओं को रियायती दर पर एल. पी. जी. कनेक्शन दिये जा रहे थे इन कनेक्शनों का वितरण कार्यक्रमों में जरिये जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जा रहा था साथ ही जिन उपभोक्ताओं के एक सिलेण्डर का कनेक्शन है उन्हें गैस खत्म होने पर परेशान ना होना पडे इसी उद्धेश्य की पूर्ति हेतु डी. बी. सी. योजना चलाई जा रही थी। इन्ही योजनाओं में नए कनेक्शन जारी किये किये जाने हेतु कम्पनी द्वारा भेजे गऐ सिलेण्डरों को एजेन्सी द्वारा दो वाहनों में भरकर दिनांक 04.01.2017 को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण किये जाने थे जिसे जांच द्वारा वाहनों से गिनती करने के बहाने गोदाम के बाहर खाली पड़ी जगह में उतरवा कर गिनती की गयी। इस प्रकार कम्पनी के प्लांट से 14.2 कि. ग्रा. भार के 306 सिलेण्डर कम्पनी की गाडी में ही भरे हुए थे उनको एजेंसी के एक अन्य वाहन जो किराये पर लिया हुआ था में ट्रांसफर किये जाने थे उज्जवला योजना एवं डी. बी. सी. योजना के अन्तर्गत पात्र उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने थे उन्हें भी जांच दल द्वारा गोदाम के बाहर खाली करवाकर गलत कार्यवाही की गई एवं जब्ती में लिया गया। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाते हुए जब्तशुदा सिलेण्डर विपक्षी को सुपुर्द किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

विपक्षी संख्या 2 ने जवाब प्रस्तुत किया कि मैसर्स धाकड़ भारत गैस ग्रामीण वितरक, कनेरा जिला चित्तौड़गढ़ एक दुर्गम क्षेत्रीय वितरक है जिसका शुभारम्भ दिनांक 31.07.2014 को वितरक द्वारा नियमानुसार सभी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक अनुज्ञप्तियां प्राप्त करने के उपरांत किया गया था। विपक्षी संख्या 1 व 2 के मध्य वितरक अनुबंध निष्पादित किया हुआ है जिसके तहत विपक्षी संख्या 1 द्वारा एलपीजी गैस के नये कनेक्शन जारी करने, डीबीसी जारी करने और सिलेण्डरों की रीफिल सप्लाई का कार्य किया जाता है। अनुबंध के Clause संख्या 5 के अनुसार यह सिलेण्डर वितरक को नए कनेक्शन जारी करने और व्यापार करने हेतु जारी किए जाते हैं तथा इनका स्वामित्व कॉर्पोरेशन का ही रहता है इसकी सुरक्षा इत्यादि की जिम्मेदारी वितरक की ही होती है। प्रार्थी द्वारा जो शिकायत प्रस्तुत की गई है उसका कोई लोकस स्टेण्डिंग नहीं है। विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 1 को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर रखा है और दोनों के बीच Principal to Principal आधार पर अनुबन्ध निष्पादित किया है। इस अनुबंध के Clause संख्या 15 और 18 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सभी लागू वैधानिक नियमों/ उप नियमों की अनुपालना, अनुज्ञप्तियों आदि की जिम्मेदारी पूर्णतः विपक्षी संख्या 1 की होगी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी लागू वैधानिक नियमों/उप नियमों का उल्लघंन करने पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही क्षतिपूर्ति, कलेम, दावे के लिए विपक्षी संख्या 2 बाध्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, क्षतिपूर्ति, क्लेम, दावे या कानूनी कार्यवाही किसी से भी संबंधित होगी तो उसकी जिम्मेदारी विपक्षी संख्या 1 की ही होगी, विपक्षी संख्या 2 की इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। वितरक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वितरक द्वारा गोदाम में लाईसेन्स सीमा से ज्यादा भण्डारण नहीं किया गया था। वितरक द्वारा भारत सरकार की योजना उज्जवला के तहत एलपीजी कनेक्शन और डीबीसी जारी करने हेतु सिलेण्डर मंगवाए थे। दिनांक 03.01.2017 को हमारे संयंत्र से 306 भरे 14.2 कि.ग्रा. के सिलेण्डर इन्वाईस संख्या 3105108526 के तहत वाहन संख्या RJ 27 GA 9353 द्वारा भेजे गए थे जो वितरक के यहां दिनांक 04.01.2017 को पहुंचे थे। वितरक द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और डी.बी.सी. वितरण हेतु अतिरिक्त 3 वाहन मंगवाए गए थे, 2 वाहन में

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

131 सिलेण्डर भरे हुए लोड़ किये हुए थे और अन्य 306 सिलेण्डर भी अतिरिक्त वाहन में लोड़ किए जाने के बाद वितरित किए जाने थे। अतः विपक्षी संख्या 2 द्वारा किसी भी प्रकार से द्रविकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 20 खण्ड 8 एवं राज. पेट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन और नियंत्रण) आदेश 1990 के खण्ड 3, 5 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर सिलेण्डर वितरक को सुपुर्द किए जाने का आदेश प्रदान करावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं पैराकोर सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया एवं प्रकरण गुणावगुण पर देखा जिसके अनुसार विपक्षी संख्या 1 का विस्फोटक अनुज्ञप्ति संख्या G/NC/RJ/06/1447 (G36677) दिनांक 30.09.2023 तक वैध पाया गया है किन्तु उक्त विस्फोटक अनुज्ञप्ति संख्या G/NC/RJ/06/1447 (G36677) की भण्डारण क्षमता कुल 5000 कि.ग्रा. तक ही स्वीकृत है किन्तु विपक्षी संख्या 1 के गैस गोदाम के निरीक्षण के दौरान कुल 11348.4 कि. ग्रा. गैस का भण्डारण होना पाया गया जो कि स्वीकृत क्षमता 5000 के मुकाबले कुल 6348.4 कि. ग्रा. अधिक गैस अवैध रूप से भण्डारण होना पाई गई है।

विपक्षी संख्या 1 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वक्त निरीक्षण 14.2 कि. ग्रा. के 340 सिलेण्डर, 19 कि. ग्रा. के 03 सिलेण्डर एवं 5 कि. ग्रा. के 20 सिलेण्डर ही थे शेष दर्शाये गये सिलेण्डरों में से 14.2 कि. ग्रा. के 131 सिलेण्डर दो वाहनों में भरे हुए थे, जो भारत सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना जिसमें चित्तौड़गढ़ जिले को प्राथमिकता मिली होने से इस योजना के तहत एसईसीसी सूची 2011 में शामिल योग्य महिलाओं को रियायती दर पर एल. पी. जी. कनेक्शन दिये जाने तथा जिन उपभोक्ताओं के एक सिलेण्डर का कनेक्शन है उन्हें गैस खत्म होने पर परेशान ना होना पडे इसी उद्धेश्य की पूर्ति हेतु डी. बी. सी. योजना चलाई जा रही थी अतः उक्त दोनों

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

योजनाओं में उपभोक्ताओं को आपूर्ति हेतु कम्पनी से 306 सिलेण्डर मंगवाना बताया है किन्तु हम यहां यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि विपक्षी संख्या 1 का डी. एस. ओ. द्वारा जारी अनुज्ञप्ति संख्या 280/2014 का नवीनीकरण दिनांक 31.12.2014 के बाद मौके पर नहीं होना पाया गया। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 द्वारा बिना अपना अनुज्ञप्ति/लाईसेंस नवीनीकरण कराये दिनांक 31.12.2014 के पश्चात् निरीक्षण दिनांक 04.01.2017 तक लगभग 02 वर्ष 01 माह की अवधि तक अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डारण एवं व्यापार किया जा रहा था अर्थात् निरीक्षण दिनांक 04.01.2017 को विपक्षी संख्या 1 अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के अभाव में गैस सिलेण्डरों का भण्डारण करने, वितरण एवं व्यापार करने हेतु अधिकृत ही नहीं थे।

विपक्षी संख्या 2 ने अपने जवाब में वर्णित किया है कि ''विपक्षी संख्या 1 को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त कर रखा है और दोनों के बीच Principal to Principal आधार पर अनुबन्ध निष्पादित किया है। इस अनुबंध के Clause संख्या 15 और 18 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि सभी लागू वैधानिक नियमों/उप नियमों की अनुपालना, अनुज्ञप्तियों आदि की जिम्मेदारी पूर्णतः विपक्षी संख्या 1 की होगी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा किसी लागू वैधानिक नियमों/उप नियमों का उल्लघंन करने पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्यवाही क्षतिपूर्ति, कलेम, दावे के लिए विपक्षी संख्या 2 बाध्य नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान, क्षतिपूर्ति, क्लेम, दावे या कानूनी कार्यवाही किसी से भी संबंधित होगी तो उसकी जिम्मेदारी विपक्षी संख्या 1 की ही होगी, विपक्षी संख्या 2 की इस मामले में किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।'' किन्तु विपक्षी संख्या 2 का भी यह दायित्व बनता है कि वह समय-समय पर यह जांच करें कि उनके द्वारा जिस गैस ऐजेन्सी/वितरक से अनुबंध किया है वह पूर्ण रूप से अनुबंध पर लागू वैधानिक नियमों/उप नियमों की पालना कर रहा है अथवा नहीं? लेकिन ऐसी कोई जांच विपक्षी संख्या 2 के द्वारा विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में करना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नहीं पाया गया है और विपक्षी संख्या 1 के अनुज्ञप्ति/लाईसेंस दिनांक 31.12.2014 तक ही वैध होने के बाद भी विपक्षी संख्या 1 को गैस सिलेण्डर आपूर्ति किए गए हैं जो कि अवैधानिक है।

इस प्रकार मौके पर निरीक्षण के दौरान विपक्षी संख्या 1 द्वारा उन्हें विस्फोटक अनुज्ञप्ति संख्या G/NC/RJ/06/1447 (G36677) से स्वीकृत कुल 5000 कि.ग्रा. गैस भण्डारण तक की क्षमता से अधिक कुल 11348.4 कि. ग्रा. गैस का भण्डारण होना पाया गया जो कि 6348.4 कि. ग्रा. अधिक गैस का अवैध रूप से भण्डारण होना पाया गया साथ ही जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति/लाईसेंस संख्या 280/2014 भी विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिनांक 31.12.2014 के बाद नवीनीकरण कराना नहीं पाया गया ओर बिना अनुज्ञप्ति/लाईसेंस नवीनीकरण कराये लगभग 02 वर्ष 01 माह की अवधि तक अवैध रूप से गैस एजेन्सी का संचालन करना, व्यापार करना एवं गैस का अवैध रूप से भण्डारण करना प्रमाणित पाया जाता है जो कि एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त शुदा 14.2 कि. ग्रा. के कुल 777 सिलेण्डर भरे हुए व 85 सिलेण्डर खाली, 19 कि. ग्रा. के 03 सिलेण्डर भरे हुए तथा 09 सिलेण्डर खाली एवं 5 कि. ग्रा. के 20 सिलेण्डर भरे हुए मय गैस राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार करते हुए जब्तशुदा 14.2 कि. ग्रा. के कुल 777 सिलेण्डर भरे हुए व 85 सिलेण्डर खाली, 19 कि. ग्रा. के 03 सिलेण्डर भरे हुए तथा 09 सिलेण्डर खाली एवं 5 कि. ग्रा. के 20 सिलेण्डर भरे हुए मय गैस राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों के निस्तारण की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(डॉ. मंजू)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official